प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगल पीठ

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री टी.पी. शर्मा एवं माननीय न्यायमूर्ति श्री आर.एल. झंवर

दाण्डिक अपील क्रमांक 574/2003

भरत सोनी

- बनाम-

छत्तीसगढ़ राज्य

दाण्डिक अपील क्रमांक 577/2003

संजय सोनी

- बनाम-

छत्तीसगढ़ राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दाण्डिक अपील क्रमांक 587/2003

जितेंद्र कुमार व एक अन्य

- बनाम-

छत्तीसगढ़ राज्य

दाण्डिक अपील क्रमांक 614/2003

धुव कुमार रवि

- बनाम-

छत्तीसगढ़ राज्य

दाण्डिक अपील क्रमांक 783/2003

गोपी कुमार

- बनाम-

छत्तीसगढ़ राज्य

दाण्डिक अपील क्रमांक 1022/2003

रानू वर्मा

- बनाम-

छत्तीसगढ़ राज्य

विचारार्थ निर्णय

सही/-
टी.पी. शर्मा
न्यायाधीश

माननीय न्यायमूर्ति श्री आर.एल. झंवर

सही/-
आर.एल. झंवर
न्यायाधीश

निर्णय सुनाए जाने हेतु दिनांक 30 नवंबर, 2009 को सूचीबद्घ करें।

सही/-
30.11.2009

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगल पीठ

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री टी.पी. शर्मा एवं माननीय न्यायमूर्ति श्री आर.एल. झंवर

दाण्डिक अपील क्रमांक 574/2003

अपीलार्थी (अभिरक्षा में) : भरत सोनी, पिता हरिकृष्ण प्रसाद सोनी, उम्र लगभग 23 वर्ष, व्यवसाय मनिहारी दुकान, निवासी मायापुर, थाना रोड अंबिकापुर, पुलिस थाना अंबिकापुर, जिला. सरगुजा (छत्तीसगढ़)

बनाम

प्रत्यर्थी : छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा पुलिस थाना अंबिकापुर, जिला सरगुजा (छत्तीसगढ़)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दाण्डिक अपील क्रमांक 577/2003

अपीलार्थी (अभिरक्षा में) : संजय सोनी, पिता श्री लक्ष्मण प्रसाद सोनी, उम्र लगभग 21 वर्ष, निवासी मोहल्ला-मायापुर चांदनी चौक, अंबिकापुर, जिला सरगुजा (छ.ग.)

बनाम

प्रत्यर्थी : छत्तीसगढ़ राज्य

दाण्डिक अपील क्रमांक 587/2003

अपीलार्थी (अभिरक्षा में) : 1. जीतेन्द्र कुमार पिता दिलबन्धुराम यादव, उम्र 23 वर्ष, व्यवसाय मजदूरी, निवासी मायापुर, गुप्ता शॉप के सामने, पुलिस थाना अंबिकापुर, जिला सरगुजा, (छ.ग.)

2. रूपेश कुमार पिता उमाशंकर कश्यप, उम्र 23 वर्ष,

व्यवसाय बीटल दुकानदार, निवासी मायापुर, सोनी फ्लोर मिल के पास, पुलिस थाना अंबिकापुर, जिला. सरगुजा, (छ.ग.)

बनाम

<u>प्रत्यर्थी</u> : छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा पुलिस थाना अंबिकापुर, जिला सरगुजा (छत्तीसगढ़)

<u>दाण्डिक अपील क्रमांक 614/2003</u>

अपीलार्थी : ध्रुव कुमार रवि, पिता नथनी राम, उम्र 23 वर्ष, व्यवसाय छात्र, निवासी ग्राम मायापुर, मोती बैटलशॉप के सामने, पुलिस थाना अंबिकापुर, जिला सरगुजा (छ.ग.).

बनाम

<u>प्रत्यर्थी</u> : छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा पुलिस थाना अंबिकापुर, जिला सरगुजा (छत्तीसगढ़)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>दाण्डिक अपील क्रमांक 783/2003</u>

अपीलार्थी (अभिरक्षा में) : गोपी कुमार पिता लक्ष्मण कुमार सारथी, उम्र 23 वर्ष, छात्र, निवासी वार्ड मायापुर, टाउन, थाना एवं तहसील अंबिकापुर जिला सरगुजा (छ.ग.)

बनाम

<u>प्रत्यर्थी</u> : छत्तीसगढ़ राज्य

<u>दाण्डिक अपील क्रमांक 1022/2003</u>

अपीलार्थी (अभिरक्षा में) : रानू वर्मा, पिता हरिनारायण वर्मा, उम्र 23 वर्ष, व्यवसाय सेल्स मैन निवासी चांदनी चौक के पास मायापुर थाना

अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ.ग.)

बनाम

<u>प्रत्यर्थी</u> : छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा पुलिस थाना अंबिकापुर, जिला सरगुजा (छत्तीसगढ़)

(दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 (2) के अंतर्गत दांडिक अपील)

उपस्थित:

श्री नीरज कुमार मेहता, दांडिक अपील क्रमांक 574/2003, 614/2003 और 783/2003 में अपीलार्थीगण की ओर से अधिवक्ता ।

श्री अरुण कोचर, दांडिक अपील क्रमांक 577/2003 में अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता।

श्री ए.के. प्रसाद, दांडिक अपील क्रमांक 587/2003 में अपीलार्थीगण की ओर से अधिवक्ता।

श्री अभय तिवारी, दांडिक अपील क्रमांक 1022/2003 में अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता।

श्री आशीष शुक्ला, राज्य/प्रत्यर्थी की ओर से शासकीय अधिवक्ता।

<u>निर्णय</u>

(30 नवंबर, 2009)

न्यायमूर्ति टी.पी. शर्मा द्वारा न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय पारित किया गया:-

1. चूंकि उपरोक्त सभी दाण्डिक अपीलें विशेष न्यायाधीश एवं अपर सत्र न्यायाधीश, अंबिकापुर द्वारा सत्र विचारण क्रमांक 33/2001 में पारित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश के एक

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

ही निर्णय दिनांक 30-4-2003 से उद्भूत हुई हैं, अतः इनका निराकरण इस समान निर्णय द्वारा किया जा रहा है।

2. इन अपीलों के द्वारा अपीलार्थीगण ने सत्र विचारण क्रमांक 33/2001 में विशेष न्यायाधीश एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अंबिकापुर द्वारा पारित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश दिनांक 30-4-2003 के निर्णय की वैधता एवं औचित्यता को चुनौती दी है, जिसके तहत विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अपीलार्थीगण को भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148 एवं 302 सहपठित धारा 149 के तहत अपराध कारित करने के लिए सिद्धदोष करते हुए, उनमें से प्रत्येक के विरुद्ध क्रमशः एक वर्ष के लिए सश्रम कारावास एवं 500/- रूपये के अर्थदण्ड के संदाय का दंड, अर्थदण्ड के संदाय के व्यतिक्रम की दशा में एक माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास का दंड; तथा दो वर्ष का सश्रम कारावास तथा 1,000/- रुपये के अर्थदंड के संदाय का दंड, अर्थदण्ड के संदाय के व्यतिक्रम की दशा में दो महीने के अतिरिक्त सश्रम कारावास का दंड, तथा आजीवन कारावास एवं 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड के संदाय का दंड, अर्थदण्ड के संदाय के व्यतिक्रम की दशा में दस महीने के अतिरिक्त सश्रम कारावास का दंड अधिरोपित किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. दोषसिद्धि और दण्डादेश को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि अपराध के घटित होने, विशेष रूप से विनोद विश्वकर्मा की हत्या के सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में विधिविरुद्ध जमाव के गठन और विभिन्न अपीलार्थीगण की विशिष्ट भूमिका, से संबंधित कोई विश्वसनीय और निर्णायक साक्ष्य के बिना, विचारण न्यायालय ने अपीलार्थीगण को

उपर्युक्त रूप में दोषसिद्ध किया है और दंडादिष्ट किया है और इस प्रकार अवैधता कारित किया है।

4. अभियोजन पक्ष का मामला, संक्षेप में, यह है कि दिनांक 5-12-2000 को लगभग 7.30 बजे शाम को मायापुर वार्ड, अंबिकापुर में, संतोष कुमार सिंह (अ.सा.-4) अपने घर के सामने खड़ा था, अभियुक्त गोपी और अभियुक्त रानू उसके पास आए, वे नशे की हालत में थे और संतोष कुमार सिंह के साथ विवाद किया। संतोष कुमार सिंह और विनोद विश्वकर्मा (अब मृतक) ने अभियुक्त गोपी को थप्पड़ मारा, जिस पर गोपी और रानू ने संतोष कुमार सिंह और विनोद विश्वकर्मा को धमकी दी कि वे उन्हें मार देंगे और भाग गए। कुछ समय बाद, संतोष (अ.सा.-4) और मृतक विनोद अमित कश्यप (अ.सा.-13) के साथ अपने घर के सामने खड़े थे, रात्रि लगभग 8.40 बजे अभियुक्त गोपी, रानू, भरत, ध्रुव, जितेंद्र, संजय और रूपेश उनकी ओर आए। गोपी नेपाली कुखरी पकड़े हुए था, रानू चाकू पकड़े हुए था, जितेंद्र नानचक (शिकारी जैसा शस्त्र) पकड़े हुए था, भरत छड पकड़े हुए था और ध्रुव बेल्ट पकड़े हुए था। उन्होंने संतोष पर हमला किया। रानू ने संतोष पर चाकू से हमला किया। गोपी और रानू ने विनोद पर चाकू से हमला किया और छाती और कमर पर चोट पहुंचाई। ध्रुव ने अमित पर बेल्ट से और भरत सोनी पर छड से हमला किया। रूपेश और संजय सभी अभियुक्तगण को उन्हें मारने का निर्देश दे रहे थे। जितेंद्र नानचक हिला रहा था। विनोद गिर गया और संतोष सहायता के लिए चिल्लाया (बचाओ बचाओ)। वे विनोद को रामप्रवेश पांडे की जीप में पुलिस थाना ले गए, विनोद बेहोश था और वे उसे तुरंत चिकित्सालय ले गए। संतोष (अ.सा.-4) ने घटना के दस मिनट के

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

भीतर दिनांक 5-12-2000 को रात 8-55 बजे प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी-4 दर्ज कराई। साक्षियों ने विनोद को रात 9 बजे चिकित्सालय पहुंचाया और इलाज के दौरान रात 9.10 बजे उसकी मृत्यु हो गई। चिकित्सक ने प्र.पी-35 के तहत विनोद की मृत्यु की सूचना दी और प्र.पी-35 के आधार पर प्र.पी-30 के तहत मर्ग दर्ज किया गया। प्र.पी-32 के तहत साक्षियों को बुलाने के बाद, विनोद के शव की मुत्यु समीक्षा रिपोर्ट प्र.पी-33 के तहत तैयार की गई। अमित को भी प्र.पी.-34 क के तहत चिकित्सीय परीक्षण के लिए भेजा गया और डॉ. ए.के. बंसल (अ.सा.-12) ने प्र.पी.-34 के तहत उसका परीक्षण किया, जिसमें उसके बाएँ हाथ की अनामिका और मध्यमा उँगलियों के बीच डेढ़ सेमी के दो खरोंच के निशान पाए गए। विनोद के शव को प्र.पी.-25 के तहत अंबिकापुर के शासकीय चिकित्सालय में शवपरीक्षण के लिए भेजा गया और डॉ. एस.के. सिन्हा (अ.सा.-7) ने प्र.पी.-26 के तहत शव परीक्षण किया और मृतक के शरीर पर निम्नलिखित चोटें पाई गईं: -

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(i) दाहिनी तर्जनी, मध्यमा और अनामिका पर 7.5 सेमी, 3 सेमी **x** 0.5 सेमी आकार के कटे हुए घाव।

(ii) उदर भित्ति पर नाभि से 5 सेमी नीचे 2.5 सेमी **x** 1 सेमी आकार का कटा हुआ घाव, उदर भित्ति के समानांतर पेरिटोनियम तक क्षैतिज रूप से लगाया गया छेद। इसकी लंबाई 10 सेमी थी।

(iii) बाईं सहायक रेखा पर 11वीं पसली के लेबल पर बीच में 5 सेमी **x** 2.5 सेमी आकार का कटा हुआ घाव, तिरछा लगाया गया।

(iv) 11वीं पसली को मध्य रेखा में उसकी निचली सीमा पर काटा गया था , जिससे डायाफ्राम, बाएँ फेफड़े के निचले लोब को 10 सेमी लंबाई और 0.5 सेमी

गहराई में दाहिनी ओर काटा गया था और दाएँ फेफड़े के निचले लोब को लगभग 2 सेमी लंबाई और 0.5 सेमी गहराई में काटा गया था ; और

(**v**) वक्ष रक्त से भरा हुआ है।

मृत्यु का कारण रक्तस्राव और महत्वपूर्ण अंगों में चोट के कारण हुआ सदमा था।

5. दिनांक 6-12-2000 को अभियुक्त जितेंद्र को अभिरक्षा में लिया गया, उसने नानचक के बारे में प्र. पी-6 के अनुसार खुलासा किया और उसकी निशानदेही पर एक नानचक प्र. पी-7 के अनुसार बरामद किया गया। अभियुक्त गोपी ने नेपाली खुखरी के बारे में भी खुलासा किया, प्र. पी-8 के अनुसार, उसे उसके घर से प्र पी-10 के अनुसार बरामद किया गया। अभियुक्त गोपी के पास से रक्त से सना स्वेटर और दाहिने पैर का एक जूता भी प्र पी-9 के अनुसार बरामद किया गया। दिनांक 8-12-2000 को अभियुक्त रानू वर्मा ने छुरा (गुप्ती) के बारे में प्र. पी-11 के अनुसार खुलासा किया और उसकी निशानदेही पर झाड़ियों से छुरा प्र. पी-12 के अनुसार बरामद किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अभियुक्त रानू से बरामद छुरा की जांच डॉ. एस.के. सिन्हा (अ.सा.-7) ने प्र.पी-27 के माध्यम से की। अभियुक्त रानू से रक्त से सना एक जैकेट प्र.पी-13 के माध्यम से बरामद किया गया । अभियुक्त ध्रुव से प्र.पी-14 के माध्यम से काली बेल्ट बरामद की गई और अभियुक्त भरत सोनी उर्फ मुकेश से लोहे की रॉड प्र.पी-15 के माध्यम से बरामद की गई । अभियुक्त जितेंद्र यादव से रक्त से सनी पूरी शर्ट प्र.पी-16 के माध्यम से बरामद की गई, । घटनास्थल से सादी मिट्टी, रक्त से सनी मिट्टी और एक काला जूता प्र.पी-17 के माध्यम से बरामद किया गया। अभियुक्तगण को गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी-18 से पी-24 के माध्यम से गिरफ्तार किया गया। मृतक के सीलबंद कपड़े प्र.पी-38 के माध्यम से बरामद किए गए । विवेचना अधिकारी द्वारा घटनास्थल का नजरी नक्शा प्र.पी-39 के माध्यम से तैयार किया गया । साक्षियों के कथन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत दर्ज

किए गए और जांच पूरी होने के बाद, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंबिकापुर के समक्ष आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने मामले को सत्र न्यायालय, अंबिकापुर को सौंप दिया, जहां से विशेष न्यायाधीश और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अंबिकापुर ने विचारण के लिए मामले को स्थानांतरित कर दिया।

6. अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण के अपराध को सिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष ने पन्द्रह साक्षियों का परीक्षण किया। अभियुक्तगण से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत पूछताछ की गई, जिसमें उन्होंने अपने विरुद्ध उपलब्ध साक्ष्यों से इनकार किया और स्वयं को निर्दोष तथा झूठे आरोप में फंसाए जाने का दावा किया। अभियुक्त भरत सोनी ने अपने बचाव में रामकेश्वर सिंह (ब.सा.-1) और मोती कुमार सोनी उर्फ मोटू (ब.सा.-2) से पूछताछ की, जिन्होंने यह प्रमाणित किया कि भरत सोनी घटनास्थल के निकट मायापुर का निवासी है। अभियुक्त ध्रुव कुमार रवि (ब.सा.-3) ने अपने बचाव में स्वयं का परीक्षण किया और यह न्यायायालीन कथन किया कि घटना के अगले दिन, आहट सुनकर जब वह घर से बाहर आया, तो वह अभियुक्त गोपी, रानू व अन्य का मित्र है, इसलिए उसे आसपास के लोगों ने पकड़ लिया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात, विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश ने अपीलार्थीगण को उपरोक्त तरीके से दोषसिद्ध और दण्डित किया।

8. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है, विचारण न्यायालय के निर्णय और अभिलेख का अवलोकन किया है।

9. दाण्डिक अपील क्रमांक 614/2003 में, अभियुक्त/अपीलार्थी ध्रुव कुमार रवि की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री एन.के. मेहता ने दृढ़तापूर्वक तर्क दिया कि अपीलार्थी को विनोद की हत्या के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के तहत दोषसिद्ध किया गया है और सजा सुनाई गई है। यद्यपि अपीलार्थी ध्रुव का नाम संतोष (अ.सा.-4) द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्ज है, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.-4 से पता चलता है कि वह अन्य अभियुक्तगण के साथ आया था, उसके हाथ में बेल्ट थी और उसने आहत अमित कश्यप पर बेल्ट से हमला किया। वर्तमान अपीलार्थी ने विनोद को किसी भी तरह से कोई चोट नहीं पहुँचाई है। आहत साक्षी अमित कश्यप (अ.सा.-13) ने वर्तमान अपीलार्थी की उपस्थिति को स्वीकार किया है, लेकिन उसने अपने साक्ष्य के कंडिका 3 में स्पष्ट रूप से कहा है कि अवरोधन के समय उसकी छोटी उंगली पर खरोंच आई थी। संतोष (अ.सा.-4) ने इस बारे में अभिसाक्ष्य दिया है कि किसने किसको और किस शस्त्र से चोट पहुंचाई है, लेकिन उसने यह अभिसाक्ष्य नहीं दिया है कि वर्तमान अपीलार्थी ध्रुव ने किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाई है। अपने साक्ष्य के कंडिका 27 में उसने कहा है कि ध्रुव छुरा पकड़े हुए था और कंडिका 28 में उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि ध्रुव बेल्ट नहीं पकड़े हुए था, बल्कि उसकी बेल्ट उसके शरीर से छीन ली गई थी। ध्रुव कुमार रवि के विद्वान अधिवक्ता श्री एन.के. मेहता ने आगे तर्क दिया कि किसी साक्ष्य के अभाव में अपीलार्थी

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

ध्रुव किसी भी अपराध के दोषसिद्धि के लिए उत्तरदायी नहीं है। ध्रुव ने बचाव पक्ष के साक्षी के रूप में स्वयं का परीक्षण किया है और उसने विशेष रूप से यह कथन दिया है कि वह घटनास्थल के पास मायापुर वार्ड में रहता था। विवाद की आवाज सुनने के बाद वह अपने घर से बाहर आया, जिस पर आसपास के लोगों ने उसे पकड़ लिया और वे उसे इस आधार पर पुलिस थाना ले गए कि वह सह-अभियुक्त गोपी, रानू और अन्य का मित्र है। अपने प्रतिपरीक्षण में उसने इस बात से इनकार किया है कि उसके हाथ में बेल्ट थी और उस पर बेल्ट से हमला किया गया था। श्री एन.के. मेहता ने **अमर सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य**[1] के मामले का अवलंब लिया, जिसमें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि कुछ अभियुक्तगण की घटनास्थल पर उपस्थिति और घटना के बाद उनके भाग जाने मात्र से उन्हें विधिविरुद्ध जमाव का सदस्य नहीं कहा जा सकता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. **दाण्डिक अपील क्रमांक 574/2003** में, अभियुक्त/अपीलार्थी भरत सोनी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री एन.के. मेहता ने दृढ़तापूर्वक तर्क दिया कि अपीलार्थी को भा.दं.सं. की धारा 149 की सहायता से विनोद की हत्या के लिए झूठा फंसाया गया है, उसका नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.-4 में संतोष कुमार सिंह (अ.सा.-4) द्वारा घटना के दस मिनट के भीतर दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट में है, जिसमें उसकी उपस्थिति विवादित नहीं है, लेकिन प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि वर्तमान अपीलार्थी भरत सोनी लोहे की छड पकड़े हुए था और उसने अमित कश्यप (अ.सा.-13) को लोहे की छड से आहत कर दिया। हालांकि, संतोष (अ.सा.-4) ने अपने साक्ष्य में कहा है कि घटना के बाद वे चिल्लाए, जिस पर आसपास के लोग आए और

1 1997 (1) MPW.N (59)

अभियुक्त/अपीलार्थी भरत और ध्रुव को पकड़ लिया। कंडिका 9, 10 और 11 में, उन्होंने इस सुझाव का खंडन किया है कि वर्तमान अपीलार्थी भरत सोनी ने छुरा से विनोद को चोट पहुंचाई है। उन्होंने विशेष रूप से स्वीकार किया है कि भरत सोनी किसी भी खतरे में नहीं थे। भरत सोनी के विद्वान अधिवक्ता श्री एन के मेहता ने आगे तर्क दिया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, अपीलार्थी भरत सोनी ने आहत अमित (अ.सा.-13) पर छड से हमला किया। अमित कश्यप (अ.सा.-13) ने अपने साक्ष्य के कंडिका 3 में कहा है कि विवाद में बीच-बचाव के दौरान उनके दाहिने हाथ की छोटी उंगली पर चोट लगी है, एक मामूली खरोंच है। उन्होंने कंडिका 6 में आगे कहा है कि वह यह कहने की स्थिति में नहीं थे कि अभियुक्त भरत अन्य अभियुक्तगण के साथ था या नहीं। उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि वह और भरत घटनास्थल से 5 फीट दूर खड़े थे। प्रतिपरीक्षण के कंडिका 8 में उन्होंने स्पष्ट रूप से यह कथन दिया है कि अपीलार्थी भरत सोनी ने उन्हें कोई चोट नहीं पहुंचाई है। कंडिका 19 में उन्होंने यह कथन दिया है कि सबसे पहले पांच व्यक्ति घटनास्थल पर आए, उसके बाद अपीलार्थी भरत सोनी और संजय सोनी घटनास्थल पर आए। श्री एन.के. मेहता ने यह भी तर्क दिया कि भरत सोनी कुछ समय बाद घटनास्थल पर पहुंचे, वह विधिविरुद्ध जमाव के सदस्य नहीं थे, उन्होंने किसी व्यक्ति को कोई चोट नहीं पहुंचाई है और उन्होंने विधि विरुद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में कोई कार्य नहीं किया है। भरत सोनी ने रामकेश्वर सिंह (अ.सा.-1) और मोती कुमार सोनी उर्फ मोटू (अ.सा.-2) का प्रतिपरीक्षण किया है, जिन्होंने यह कथन दिया है कि भरत सोनी भी मायापुर के निवासी हैं, जहां अपराध किया गया था। एक बार, संतोष

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(अ.सा.-4) एक मजदूर को पीट रहा था, जिस पर भरत सोनी ने बीचबचाव किया और भरत सोनी को बिना किसी प्रथम दृष्टया सामग्री के संबंधित अपराध में झूठा फंसाया गया है। श्री एन.के. मेहता ने **धन्ना एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य**[2] के मामले का अवलंब लिया जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि अभियोजन पक्ष के साक्षियों को अपने साक्ष्य में अभियुक्तगण द्वारा निभाई गई भूमिका के बारे में बताना आवश्यक है जब उन्होंने विवेचना के दौरान पुलिस को कथन प्रस्तुत किया था और विचारण में किए गए सुधार के आधार पर अभियुक्त को हत्या के लिए सिद्धदोष नहीं किया जा सकता। विद्वान अधिवक्ता ने **भीमप्पा चंदप्पा होसामनी एवं अन्य बनाम कर्नाटक राज्य**[3] के मामले का भी अवलंब लिया जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि दं.प्र. सं. की धारा 161 के तहत किसी भी कथन के अभाव में, समय बीतने के बाद न्यायालयीन कथन में अभियुक्तगण के विरुद्ध चोट पहुंचाने या अपराध में भागीदारी का आरोप भरोसा करने योग्य नहीं है। अकेले चक्षुदर्शी साक्षी के मामले में, साक्ष्य की गुणवत्ता इतनी उत्कृष्ट होनी चाहिए कि न्यायालय उसे दोषसिद्धि का आधार बनाने के लिए सुरक्षित समझे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. दाण्डिक अपील क्रमांक 577/2003 में, अभियुक्त/अपीलार्थी संजय सोनी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अरुण कोचर ने जोरदार ढंग से तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी को भा.दं.सं.की धारा 149 की सहायता से विनोद की हत्या के लिए झूठा

2. AIR 1996 SC 2478
3. 2006(10) SBR 13

फंसाया गया है। श्री अरुण कोचर ने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि संजय सोनी का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.-4 में संतोष (अ.सा.-4) द्वारा घटना के दस मिनट के भीतर दर्ज कराई गई थी, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि वर्तमान अपीलार्थी अन्य अभियुक्तगण के साथ घटनास्थल पर आया, अन्य अभियुक्त हमला कर रहे थे, लेकिन अभियुक्त/अपीलार्थी रूपेश और संजय उन्हें उकसा रहे थे और उन्हें मारने के लिए निर्देश दे रहे थे (जान से मार दो सालों को)। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि संतोष (अ.सा.-4) ने अपने साक्ष्य के कंडिका 3 में यह कथन प्रस्तुत किया है कि संजय सोनी भी अन्य अभियुक्तगण के साथ घटनास्थल पर नहीं आया था, वह दूसरी तरफ से आया था, लेकिन उसने यह कथन प्रस्तुत किया है कि संजय ने छुरे से विनोद को चोट पहुंचाई है। उसने कंडिका 59 में यह भी कथन प्रस्तुत किया है कि उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट में पुलिस को बताया है कि संजय विपरीत दिशा से आया था और वह उसी इलाके का निवासी है। उसने कंडिका 62 में स्वीकार किया है कि संजय अन्य अभियुक्तगण का मित्र है। उसने कंडिका 63 में विशेष रूप से यह कथन प्रस्तुत किया है कि संजय छुरा पकड़े हुए था और उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते समय पुलिस को यह तथ्य बताया था। लेकिन कंडिका 64 में उसने इस बात से इनकार किया है कि संजय ने कोई अपराध नहीं किया है, उसे इस आधार पर झूठा फंसाया गया है कि वह अन्य अभियुक्तगण का मित्र है। उसने कंडिका 66 में भी यही बात दोहराई है इससे पता चलता है कि जब अभियुक्त घटनास्थल पर पहुँचे, तब संजय विपरीत दिशा से आया था। उसके पास कोई शस्त्र नहीं था, उसने किसी व्यक्ति को चोट नहीं पहुँचाई और केवल इस आधार पर कि वह वहाँ

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थित था, उस पर दायित्व नहीं लगाया जा सकता। संजय सोनी के विद्वान अधिवक्ता श्री अरुण कोचर ने **बसिष्ठ रॉय एवं अन्य बनाम बिहार राज्य**[4] के मामले का अवलंब लिया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि बहुविकल्पीय कथन के आधार पर, अन्य अभियुक्तगण को उन दो अभियुक्तगण के सामान्य उद्देश्य को साझा करने वाला नहीं माना जा सकता, जिन पर विशिष्ट प्रत्यक्ष कृत्य का आरोप लगाया गया है। इसलिए, अन्य अभियुक्तगण को भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के तहत और भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के आधार पर दोषसिद्धि किसी भी तथ्य पर आधारित नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने **भीमराव उर्फ रमेश पंढरी भाड़े एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य**[5] के मामले का अवलंब लिया जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि "अभियुक्त व्यक्तियों का वास्तविक समान उद्देश्य पीड़ित पर हमला करना था - हालांकि, कुछ अभियुक्तगण ने पीड़ित के घर में प्रवेश करने के बाद अलग-अलग समान उद्देश्य विकसित किए और पीड़ित को गंभीर चोटें पहुंचाईं। पीड़ित के घर के बाहर खड़े अभियुक्त को यह नहीं पता हो सकता कि घर के अंदर क्या हुआ। घर में प्रवेश करने वाले वास्तविक विधिविरुद्ध जमाव के सदस्यों के कृत्य को उस सदस्य के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता जो बाहर खड़ा था। जिन सदस्यों का सामान्य उद्देश्य साझा नहीं था और वे बाहर खड़े थे, उन्हें धारा 352 सहपठित 149 के तहत दोषसिद्ध किया जा सकता है, न कि धारा 326 सहपठित 149 के तहत।" विद्वान अधिवक्ता ने **सुखबीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य**[6] के मामले का भी अवलंब लिया जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. 2003 AIR SCW 778
5. 2003 AIR SCW 842
6 (2002) 3 SCC 327

अभिनिर्धारित किया है कि विद्वान अधिवक्ता ने **बांदी मल्लैया एवं अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य**[7] के मामले का अवलंब लिया जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि हत्या के विचारण में महत्वपूर्ण चूक और विरोधाभासों पर विचार किया जाना आवश्यक है। विद्वान अधिवक्ता ने **सुरेश चौधरी बनाम बिहार राज्य**[8] के मामले का भी अवलंब लिया जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि हत्या के विचारण में चूक और विरोधाभास अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। विद्वान अधिवक्ता ने **दविंदर बनाम राम दत्ता व एक अन्य**[9] के मामले का भी अवलंब लिया जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि हितबद्ध और आकस्मिक साक्षी के परिसाक्ष्य की सावधानीपूर्वक जाँच की जानी चाहिए। चोटों की प्रकृति और हमले के कथित शस्त्र के संबंध में अभियोजन पक्ष के प्रकरण और चिकित्सीय साक्ष्य के बीच विसंगति ने कथित चक्षुदर्शी साक्षियों के परिसाक्ष्य पर संदेह उत्पन्न किया। अभियुक्त संदेह का लाभ पाने के हकदार हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. दाण्डिक अपील क्रमांक 587/2003 में, अभियुक्त/अपीलार्थी जितेंद्र कुमार और रूपेश कुमार की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री ए.के. प्रसाद ने दृणतापूर्वाक तर्क दिया कि अपीलार्थीगण को भा.दं.सं. की धारा 149 की सहायता से विनोद की हत्या के लिए झूठा फंसाया गया है, उनके नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी-4 में दर्ज हैं जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि जितेंद्र कुमार नानचक, हंटर जैसा एक शस्त्र पकड़े हुए था, और

7 AIR 1980 SC 1160
8 2003 SCC (Cri) 801
9 1990 (Supp) SCC 614

वह उसे हवा में घुमा रहा था, लेकिन नानचक से कोई चोट नहीं पहुंची है, और रूपेश कुमार ने भी किसी व्यक्ति को कोई चोट नहीं पहुंचाई है, लेकिन अन्य अभियुक्तगण को उकसा रहा था और उन्हें हत्या करने के लिए निर्देशित कर रहा था। जितेंद्र कुमार और रूपेश कुमार के विद्वान अधिवक्ता श्री ए.के. श्री प्रसाद ने आगे तर्क दिया कि न तो संतोष (अ.सा.-4) और न ही अमित (अ.सा.-13) ने इन अपीलार्थीगण (जितेंद्र कुमार और रूपेश कुमार) के विरुद्ध कोई अभिकथन दिया है। दोनों ही अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण ने विनोद या अमित को कोई हानि नहीं पहुँचाई है, इसलिए वे किसी भी अपराध के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। विद्वान अधिवक्ता ने **राम स्वरूप एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य**[10] के मामले का अवलंब लिया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट और प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने वाले साक्षी के कथन में अंतर अभियोजन पक्ष के मामले पर गंभीर संदेह उत्पन्न करता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. दाण्डिक अपील क्रमांक 783/2003 में, अभियुक्त/अपीलार्थी गोपी कुमार की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री एन.के. मेहता ने दृढ़तापूर्वक तर्क दिया कि अपीलार्थी को भा.दं.सं.की धारा 149 की सहायता से विनोद की हत्या के लिए झूठा फंसाया गया है, उसका नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्ज है जिसमें उल्लेख किया गया है कि गोपी कुमार नेपाली खुखरी पकड़े हुए था, लेकिन संतोष (अ.सा.-4), जिसने प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी -4 दर्ज कराया है, ने अपने साक्ष्य के कंडिका 3 में कहा है कि भरत सोनी और गोपी कुमार ने विनोद को घातक चोट पहुंचाई है और संजय सोनी ने भी चाकू से चोट पहुंचाई

10 AIR 2004 SC 2943

है। हालांकि, आहत साक्षी अमित कश्यप (अ.सा.-13) ने गोपी कुमार के विरुद्ध कुछ नहीं कहा है। अमित (अ.सा.-13) के अनुसार, रानू वर्मा और जितेंद्र कुमार ने चाकू और छुरा से चोट पहुंचाई है। अभियोजन पक्ष ने चक्षुदर्शी के रूप में संतोष (अ.सा.-4) और अमित (अ.सा.-13) के साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं, लेकिन उनके साक्ष्य विरोधाभासी हैं और अभियुक्तगण के दोषसिद्धि के लिए उन पर भरोसा करना सुरक्षित नहीं है।

14. दाण्डिक अपील क्रमांक 1022/2003 में, अभियुक्त/अपीलार्थी रानू वर्मा की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अभय तिवारी ने दृढ़तापूर्वक तर्क दिया कि अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के तहत विनोद की हत्या के लिए झूठा फंसाया गया है। संतोष (अ.सा.-4) ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई है। प्र.पी-4 में उल्लेख किया गया है कि घटना से ठीक एक घंटा पहले मृतक विनोद और संतोष ने अभियुक्त गोपी कुमार और रानू वर्मा को थप्पड़ मारे और उन्हें चोट पहुँचाने के लिए उकसाया। रानू वर्मा ने मृतक विनोद की हत्या करने के आशय से कोई चोट नहीं पहुँचाई। यह घटना पहली घटना की प्रतिक्रिया थी जिसमें परिवादी पक्ष द्वारा रानू वर्मा पर हमला किया गया था। संतोष (अभि.सा.-4) ने यह कथन प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी रानू वर्मा ने मृतक विनोद की पीठ पर चाकू से वार किया था, लेकिन शव-परीक्षा रिपोर्ट प्र.पी-26 के अनुसार, मृतक की पीठ पर कोई चोट नहीं पाई गई और मृतक की मृत्यु फेफड़ों पर लगी चोट के कारण हुई। हालाँकि, अभियोजन पक्ष ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि फेफड़ों पर घातक चोट किसने पहुँचाई, जो मृतक की मृत्यु के लिए पर्याप्त है। इम्तियाज अली

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(अभि.सा.-6) ने अपने साक्ष्य के कंडिका 35 में यह कथन प्रस्तुत किया है कि चाकू की बरामदगी एक खुले स्थान से हुई थी जहाँ सभी पहुँच सकते थे। डॉ. एस.के. सिन्हा (अभि.सा.-7) ने अपने साक्ष्य के कंडिका 3 में यह कथन प्रस्तुत किया है कि मृतक के शरीर पर केवल तीन चोटें थीं, लेकिन अभियोजन पक्ष के अनुसार सभी अभियुक्तगण ने चोटें पहुँचाईं और उस स्थिति में, कम से कम सात चोटें आवश्यक थीं, लेकिन तीन चोटों और आंतरिक चोटों का होना यह दर्शाता है कि किसी भी अभियुक्त ने मृतक को बार-बार चोट नहीं पहुँचाई। यह घटना परिवादी पक्ष द्वारा अचानक उकसावे के कारण क्षणिक आवेश में घटित हुई। विद्वान अधिवक्ता ने **राम मेरु एवं एक अन्य बनाम गुजरात राज्य**[11] के मामले का अवलंब लिया जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि चिकित्सीय साक्ष्य के अनुसार यद्यपि चोटें सामूहिक रूप से मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थीं, व्यक्तिगत रूप से उनसे मृत्यु कारित होने की संभावना नहीं थी। हत्या का सामान्य उद्देश्य स्थापित नहीं हुआ और दोषसिद्धि भा.दं.सं. की धारा 326 सहपठित धारा 34 के तहत हो सकती है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे **सुनील बालकृष्ण भोईर बनाम महाराष्ट्र राज्य**[12] के मामले का अवलंब लिया जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि यदि मृतक पर हमला करने के लिए वास्तविक रूप से विधिविरुद्ध जमाव का गठन किया गया था और अचानक एक अभियुक्त ने मृतक को चाकू से वार कर दिया, तो मृतक की मृत्यु का कारण बनने के लिए भीड़ के सामान्य उद्देश्य के अभाव में सभी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11 AIR 1992 SC 969
12 (2009) 3 SCC (Cri) 226

अभियुक्त हत्या के रूप में मृतक की मानव हत्या कारित करने के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।

15. अभियुक्त/अपीलार्थी भरत सोनी, गोपी कुमार और ध्रुव कुमार रवि की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री एन.के. मेहता ने आगे **ए.पी. राज्य बनाम वी.वी. पांडुरंगा राव**[13] के मामले का अवलंब लिया जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि भौतिक विवरणों पर सारवान साक्षी के साक्ष्य में बहुत अधिक बदलाव होने की स्थिति में, उक्त साक्षी के कथन पर भरोसा करना सुरक्षित नहीं है। श्री एन.के. मेहता ने **राधा मोहन सिंह @ लाल साहद एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य**[14] के मामले का भी अवलंब लिया । यदि वास्तविक रूप से जमाव का गठन सबक सिखाने के लिए किया गया था और बाद में घातक चोट पहुंचाई गई थी, तो सभी सदस्य कुछ अभियुक्तगण के बाद के घटना के आधार पर हत्या के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। श्री एन.के. मेहता ने **मध्य प्रदेश राज्य बनाम आधार**[15] के मामले का अवलंब लिया जिसमें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है विद्वान अधिवक्ता ने **नागरजीत अहीर एवं अन्य बनाम बिहार राज्य**[16] के मामले का भी अवलंब लिया जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि उस व्यक्ति ने हमले में भाग नहीं लिया था, तो उस व्यक्ति की मात्र उपस्थिति उसे विधिविरुद्ध जमाव के सदस्य के रूप में किसी अपराध के लिए

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. 2009/Cri.L.J. 2972
14. 2006(2) SBR 93
15. 1985 MPWN (466)
16. 2005 AIR SCW 430

उत्तरदायी नहीं बनाती है। विद्वान अधिवक्ता ने **सरमन एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य**[17] के मामले का भी अवलंब लिया जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि यदि गैर-महत्वपूर्ण अंग पर साधारण चोट पहुंचाई जाती है, तो यह नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्त का उद्देश्य मृतक की हत्या करना था और भा.दं.सं. की धारा 302 सहपठित धारा 149 के तहत दोषसिद्धि संधारणीय नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने **राजस्थान राज्य बनाम राजेंद्र सिंह**[18] के मामले का भी अवलंब लिया जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि अभियुक्त के शरीर पर मिली चोटों का स्पष्टीकरण न देना अभियोजन पक्ष के लिए घातक है और सच्चाई को छिपाने वाले चक्षुदर्शी साक्षी विश्वसनीय नहीं हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. दूसरी ओर, राज्य/उत्तरवादी की ओर से उपस्थित विद्वान शासकीय अधिवक्ता श्री आशीष शुक्ला ने दृढतापूर्वक तर्क दिया कि अपराध के समय सभी अपीलार्थी उपस्थित थे, वे पूरी तैयारी के साथ घटनास्थल पर आए थे और विधिविरुद्ध रूप से एकत्रित होने के बाद, उनके पास घातक शस्त्र थे और वे अचानक एकत्रित नहीं हुए थे, बल्कि वे विनोद और संतोष को मारने के आशय से आए थे, इस आधार पर कि ठीक एक घंटे पहले कोई घटना घटी थी जिसमें संतोष और विनोद ने अभियुक्त गोपी और रानू पर हमला किया था। विद्वान शासकीय अधिवक्ता श्री आशीष शुक्ला ने आगे तर्क दिया कि अपीलार्थी घातक शस्त्रों जैसे छड, नानचक, चाकू और छुरा के साथ आए थे, जो हत्या के समान मानव

17. AIR 1993 SC 400
18. JT 1998 (5) SC 193

हत्या का कारण बनने के उनके गंभीर आशय को दर्शाता है। विधिविरुद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए अपराध किए जाने की स्थिति में, किसी एक सदस्य द्वारा अपराध के लिए कोई विशिष्ट भाग आवश्यक नहीं है, मृतक के शरीर पर पाई गई चोट घातक थी और ऐसी चोट के परिणामस्वरूप मृतक की मृत्यु हो गई, महत्वपूर्ण अंग पर चाकू से चोट पहुंचाना अपने आप में हत्या करने के आशय से चोट पहुंचाने के उनके दूषित आशय को दर्शाता है। आहत साक्षियों, संतोष (अ.सा.-4) और अमित (अ.सा.-13) के साक्ष्य यह अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त हैं कि अभियुक्तगण ने विधिविरुद्ध जमाव बनाया है और विधिविरुद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्यको आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने विनोद को घातक चोटें पहुंचाईं जिससे उसकी मृत्यु हो गई और अमित को सामान्य चोटें आईं। एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा पहुंचाई गई चोटों के मामले में साक्षियों के लिए यह देखना संभव नहीं है कि शरीर के किस हिस्से पर चोट किसने पहुंचाई है, लेकिन साक्षी यह समझाने की स्थिति में हो सकते हैं कि किसने किस शस्त्र से चोट पहुंचाई अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त है कि विनोद की हत्या करने के लिए विधिविरुद्ध जमाव बनाने के बाद अभियुक्त घटनास्थल पर गए और विधिविरुद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्यको आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने मृतक की हत्या कर दी, इसलिए, प्रत्येक अपीलार्थी अपराध के लिए उत्तरदायी है। विचारण न्यायालय ने अपीलार्थीगण को उपर्युक्त के अनुसार उचित रूप से दोषसिद्ध किया है और सजा सुनाई है। राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने **विट्ठल भीमाशाह कोली बनाम महाराष्ट्र राज्य**[19] के मामले का अवलंब लिया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19 AIR 1983 SC 179

किया है कि विधिविरुद्ध जमाव का सामान्य उद्देश्यऔर अलग-अलग स्थानों पर अभियुक्तगण का इंतजार करना यह तय करने के लिए महत्वपूर्ण है कि उन्होंने विधिविरुद्ध जमाव बनाई थी या नहीं। अभियुक्त अलग-अलग जगहों पर घात लगाए बैठे थे, स्वयं को छोटे समूहों में बांट लिया ताकि वे ध्यान आकर्षित न करें। वे बहुत अधिक समय के अंतराल के बिना घटनास्थल पर एक साथ शामिल हो गए इससे पता चलता है कि उन्होंने अपराध कारित करने के लिए विधिविरुद्ध जमाव बनाया था। राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने **भजन सिंह एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य**[20] के मामले का अवलंब लिया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि घातक शस्त्रों को लिए हुए विधिविरुद्ध जमाव और यह ज्ञान कि शस्त्रों के प्रयोग से मृत्यु हो सकती है, यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त है कि अभियुक्तगण ने व्यक्ति की मृत्यु कारित करने के सामान्य उद्देश्यसे विधिविरुद्ध जमाव का गठन किया था। राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने **विक्रम एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य**[21] के मामले का भी अवलंब लिया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि आठ व्यक्तियों द्वारा चोट पहुँचाना, जबकि उन व्यक्तियों ने इसका विरोध भी किया था, और बड़ी संख्या में लोगों के एकत्रित होने तक हमला जारी रखना यह दर्शाता है कि अभियुक्तगण ने विधिविरुद्ध जमाव बनाया था और विधिविरुद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्यको आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया था। राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने **यूनिस उर्फकरिया एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य**[22] के मामले का अवलंब लिया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि विधिविरुद्ध

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20 AIR 1974 SC 1564
21 (2007) 12 SCC 332
22 AIR 2003 SC 539

जमाव में अभियुक्तगण की उपस्थिति दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त है, कोई प्रत्यक्ष कृत्य आवश्यक नहीं है। राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने **बिश्ना उर्फ भिस्वदेब महतो एवं अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य**[23] के मामले का भी अवलंब लिया जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि विधिविरुद्ध जमाव के लोगों द्वारा सामान्य उद्देश्यके लिए बैठक के रूप में पूर्व-जमाव आवश्यक नहीं है, यदि सामान्य उद्देश्यको सभी व्यक्तियों द्वारा अपनाया जाता है और उनके द्वारा साझा किया जाता है, तो यह उद्देश्य पूरा होगा। राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने **दानी सिंह एवं अन्य बनाम बिहार राज्य**[24] के मामले का भी हवाला दिया जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि विधिविरुद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्यको आगे बढ़ाने के लिए किए गए कार्य के मामले में कोई प्रत्यक्ष कार्य आवश्यक नहीं है। यह तर्क कि कुछ अभियुक्त व्यक्तियों ने कोई प्रत्यक्ष कार्य नहीं किया, वास्तव में कोई परिणाम नहीं देगी। वे केवल दर्शनार्थी नहीं थे, जैसा कि दावा किया गया है। ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह पता चले कि उन्होंने व्यक्तियों को दाण्डिक कृत्य करने से रोका हो या घटना के दौरान किसी भी समय पीछे हटे हों, जो स्वयं में या अंतिम अपराध को आगे बढ़ाने में एक कदम हो।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. पक्षकारों के तर्कों को समझने के लिए, हमने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण किया है। वर्तमान मामले में, विनोद की मानववध मृत्यु और अमित को आई साधारण चोटों पर बचाव पक्ष द्वारा कोई विवाद नहीं है। दूसरी ओर, संतोष कुमार सिंह

---

23 AIR 2006 SC 302
24 AIR 2004 SC 4570

(अ.सा.-4), अमित कश्यप (अ.सा.-13), डॉ. एस.के. सिन्हा (अ.सा.-7) - जिन्होंने शव परीक्षण प्र.पी.-4 किया, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.-26 - शव परीक्षण रिपोर्ट के साक्ष्यों से यह स्थापित होता है। डॉ. एस.के. सिन्हा (अ.सा.-7) ने अभिकथन किया है कि उन्होंने दिनांक 6-12-2000 को विनोद के शव का परीक्षण किया था और इस निर्णय के कंडिका 4 में उल्लिखित चोटें पाई थीं, चोटें मृत्युपूर्व थीं और मृत्यु मावनवध प्रकृति की थी। साक्ष्य और दस्तावेज यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त हैं कि विनोद की मृत्यु उसे लगी घातक चोटों के परिणामस्वरूप हुई और मृत्यु मावनवध प्रकृति की थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. अभियोजन पक्ष का मामला चक्षुदर्शियों के साक्ष्य और अभियुक्तगण के कहने पर तथ्यों के खुलासे पर आधारित है।

19. प्रश्नाधीन अपराध में अभियुक्तगण की संलिप्तता सिद्ध करने के लिए, अभियोजन पक्ष ने संतोष कुमार सिंह (अभि.सा.-4) को चक्षुदर्शी साक्षी और अमित कश्यप (अभि.सा.-13) को आहत चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में परीक्षित किया है।

20. संतोष कुमार सिंह (अभि.सा.-4), जिन्होंने घटना के दस मिनट के भीतर रिपोर्ट दर्ज कराई थी, ने कथन दिया है कि उस घटना दिनांक के दिन रात्रे लगभग 8.30 बजे वह अपने घर के पास मृतक विनोद और आहत अमित के साथ बातचीत कर रहे थे, उसी समय, सभी सात अभियुक्तगण घटनास्थल पर आ गए, अभियुक्त संजय विपरीत दिशा से आया, 3-4 अभियुक्तगण ने विनोद को गालियाँ दीं और उसे बुलाया, और 1-1.5 मिनट तक बातचीत की, उसके बाद, भरत ने छुरा निकाला और उसके पेट पर वार किया। ध्रुव

के हाथ में छुरा था, गोपी के हाथ में नानचक था और संजय के हाथ में भी छुरा था। संजय ने विनोद की जांघ के निचले हिस्से पर छुरा से वार किया और रानू ने चाकू जैसे शस्त्र से विनोद की पीठ पर वार किया। विनोद को प्राणघातक चोट पहुँचाने के बाद, उन्होंने उसे धमकाया और उसकी (संतोष की) तरफ बढ़े। इस पर उसने सहायता के लिए शोर मचाया, जिस पर चारों तरफ से लोग एकत्रित हो गए और 'पकड़ो पकड़ो' के नारे लगाने लगे। आसपास के लोगों ने अभियुक्त भरत और ध्रुव को पकड़ लिया और विनोद को थाने ले गए, जहाँ संतोष ने प्र.पी-4 के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21. आहत साक्षी अमित कश्यप (अभि.सा.-13) ने भी अपने अभिसाक्ष्य में बताया कि जब वह विनोद और संतोष से वार्तालाप कर रहा था, तभी सभी अभियुक्त घटनास्थल पर आ गए और विनोद को चोट पहुँचाने लगे। उनके हाथों में छुरा, चाकू और एक छोटा चाकू था। रानू ने विनोद पर चाकू से और जितेंद्र ने छुरा से हमला किया। उन्होंने सहायता के लिए चिल्लाया, जिस पर अभियुक्त घटनास्थल से भागने की कोशिश करने लगे। बीच-बचाव के दौरान उन्हें भी चोटें आईं। आसपास के लोग भी आ गए।

22. बचाव पक्ष ने इन साक्षियों का विस्तार से प्रतिपरीक्षण किया। संतोष (अभि.सा.-4) ने अपने साक्ष्य के कंडिका 8 में कहा है कि जल्दबाजी में रिपोर्ट दर्ज कराते समय उसने घटना का विवरण नहीं दिया, लेकिन बाद में उसने घटना का विवरण दिया। कंडिका 9 में उसने कहा है कि उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट में कहा था कि भरत ने विनोद के पेट पर

चाकू से वार किया, लेकिन यह बात प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्ज नहीं हुई। उसने अपने साक्ष्य के कंडिका 22 में स्वीकार किया है कि भरत उसके वार्ड में रहता है। उसने अपने साक्ष्य में आगे कहा है कि चोट पहुँचाने के समय अभियुक्त आपस में ऊँची आवाज़ में बात कर रहे थे कि वे विनोद को मार देंगे, लेकिन साक्ष्य का यह हिस्सा प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.-4 में दर्ज नहीं हुआ। उसने कंडिका 62 में स्वीकार किया है कि अभियुक्त संजय अन्य अभियुक्तगण का मित्र है और कंडिका 63 में उसने कहा है कि उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते समय पुलिस को पहले ही बता दिया था। प्र.पी-4 में कहा गया था कि संजय के हाथ में छुरा था, लेकिन यही तथ्य प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्ज नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

23. संतोष (अ.सा.-4) वह व्यक्ति है जिसने प्र.पी-4 के माध्यम से दस मिनट के भीतर घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई है जिसमें सभी अपीलार्थीगण के नाम दिए गए हैं। उन्होंने विभिन्न अपीलार्थीगण द्वारा निभाई गई विशिष्ट भूमिका और विभिन्न अपीलार्थीगण द्वारा शस्त्रों के उपयोग के बारे में भी बताया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी-4 से पता चलता है कि घटना के ठीक एक घंटे पहले अपीलार्थी गोपी और रानू ने संतोष और मृतक विनोद के साथ विवाद किया था, उन्होंने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और मृतक विनोद ने गोपी को थप्पड़ मार दिया, जिस पर गोपी और रानू ने उन्हें धमकी दी कि वे उन्हें मार देंगे और वापस चले गए। पहली घटना के एक घंटे बाद, सभी अपीलार्थी उस स्थान पर आए जहां संतोष मृतक विनोद और आहत साक्षी अमित (अ.सा.-14) के साथ खड़ा था। गोपी नेपाली खुखरी पकड़े हुए था, रानू ने चाकू पकड़ा हुआ था, जितेंद्र ने नानचक पकड़ा हुआ

था उन्होंने चोट पहुंचाने का प्रयास किया और उन्होंने विनोद को चोटें पहुंचाईं जिसके परिणामस्वरूप विनोद गिर गया और अंततः उसकी मृत्यु हो गई। प्रथम सूचना रिपोर्ट में आगे खुलासा हुआ है कि रानू ने संतोष (अ.सा.-4) पर चाकू से हमला करने की कोशिश की। गोपी और रानू ने विनोद के पेट पर चाकू से हमला किया। ध्रुव ने अमित पर बोल्ट से और भरत ने छड से हमला किया। रूपेश और संजय उन्हें मारने की बात कह रहे थे और जितेंद्र नानचक हिला रहा था। हालांकि, न्यायालय के समक्ष अपने कथन में संतोष (अ.सा.-4) ने स्पष्ट रूप से साक्ष्य दिया है कि छह अभियुक्त एक तरफ से आए और संजय दूसरी तरफ से आया। उन्होंने गाली-गलौज की और 1-1½ मिनट के विवाद के बाद, भरत ने छुरा से विनोद को आहत कर दिया। ध्रुव छुरा पकड़े हुए था, गोपी नानचक पकड़े हुए था और संजय गुप्ती पकड़े हुए था। संजय ने विनोद की जांघ पर छुरा से हमला किया प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, गोपी और रानू ने विनोद के सीने और पेट पर चाकू से वार किया था, जबकि संतोष (अ.सा.-4) के न्यायालयीन कथन के अनुसार, भरत, गोपी, संजय और रानू ने विनोद को छुरा और चाकू से आहत किया था। भरत और संजय से संबंधित अपने न्यायालयीन कथन में उसने अपना कथन बदल दिया है। आसपास के लोगों ने भरत और ध्रुव को घटनास्थल पर ही पकड़ लिया, जब वे घटनास्थल से भागने की कोशिश कर रहे थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

24. आहत चक्षुदर्शी साक्षी अमित कश्यप (अभि.सा.-13) ने संतोष (अभि.सा.-4) के साक्ष्य की पुष्टि की है। उसके कथन के अनुसार, शुरू में अभियुक्त विनोद को हाथ-मुक्कों

से पीट रहे थे। जब उन्होंने रोकने का प्रयत्न किया, तो अभियुक्त रानू ने चाकू और जितेंद्र ने छुरा निकाल लिया। रानू और जितेंद्र ने विनोद पर हमला किया और उसे चाकू व छुरा से आहत कर दिया। अपने विस्तृत प्रतिपरीक्षण में अमित (अभि.सा.-13) ने कंडिका 6 में स्वीकार किया है कि घटना के समय भरत अन्य अभियुक्तगण के पीछे खड़ा था, लेकिन उसने इस बात से इनकार किया है कि घटना शुरू होने पर भरत ने उसे घटनास्थल से हटने के लिए कहा था। हालाँकि, उसने यह भी स्वीकार किया है कि उस समय उसने भरत से कहा था, 'तुम ज़्यादा मत बनो।' उसने यह भी स्वीकार किया है कि घटना के समय भरत घटनास्थल से 5 फीट की दूरी पर खड़ा था और जब विनोद को चाकू लगने के बाद वह विनोद की ओर दौड़ा, तो भरत उसी स्थान पर खड़ा था। कंडिका 7 में उसने स्वीकार किया है कि भरत के हाथ में कोई शस्त्र नहीं था। कंडिका 8 में उन्होंने आगे स्वीकार किया है कि भरत ने उन्हें कोई चोट नहीं पहुंचाई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

25. यह घटना दिसंबर 2000 के महीने में रात्रि 8.45 बजे हुई थी, जो सर्दियों का मौसम था और सर्दियों के मौसम में आमतौर पर रात्रि 8.30 से 9 बजे के बीच सड़क पर लोगों का होना सामान्य नहीं है। अमित (अ.सा.-13), जो अधिवक्ता का व्यवसाय करता है, ने कहा है कि वह अपने वरिष्ठ के कार्यालय से आ रहा था। इससे पता चलता है कि कार्यालय में अपना कार्य पूरा करने के बाद, वह अपने घर जा रहा था। सभी अभियुक्तगण की घटनास्थल पर उपस्थिति विवादित नहीं है। अभियुक्त भरत ने रामकेश्वर सिंह (ब.सा.-1) और मोती कुमार सोनी उर्फ मोटू (ब.सा.-2) के बचाव पक्ष के साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं,

जिन्होंने यह प्रमाणित किया है कि किसी पुरानी शत्रुता के आधार पर, उसी इलाके के निवासी भरत को झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त ध्रुव (ब.सा.-3) ने अपने बचाव में स्वयं साक्ष्य दिया है तथा यह कथन प्रस्तुत किया है कि विवाद की आवाज सुनकर वह अपने घर से बाहर आया तथा आस-पास के लोगों ने उसे इस आधार पर पकड़ लिया कि वह अन्य अभियुक्तगण का मित्र है।

26. संतोष (अ.सा.-4) ने विशेष रूप से यह साक्ष्य दिया है कि सभी अभियुक्त घटनास्थल पर आए थे, छह अभियुक्त एक तरफ से आए थे और अभियुक्त संजय दूसरी तरफ से आया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट से पता चलता है कि संजय और रूपेश अन्य अभियुक्तगण को मारने के लिए कह रहे थे। संतोष (अ.सा.-4) और अमित (अ.सा.-13) के साक्ष्य से पता चलता है कि घटना के समय सभी अभियुक्त घटनास्थल पर आए थे, कुछ लोहे की छड पकड़े हुए थे, कुछ नानचक पकड़े हुए थे, कुछ चाकू/छुरा पकड़े हुए थे और उन्होंने विनोद और अमित को चोटें पहुंचाईं, हालांकि अमित ने यह साक्ष्य दिया है कि बीच-बचाव के दौरान उसे एक छोटी खरोंच आई थी, वह आहत साक्षी है और उसने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया है। घटनास्थल पर उसकी उपस्थिति पर संदेह नहीं किया जा सकता है। संतोष (अ.सा.-4) और अमित (अ.सा.-13) के साक्ष्य से यह भी पता चलता है कि उनके साक्ष्य, प्रथम सूचना रिपोर्ट और दं.प्र. सं. की धारा 161 के तहत दर्ज अभिकथनों में कुछ लोप, विरोधाभास और परिवर्तन हैं। अभियुक्तगण द्वारा शस्त्र रखने और विनोद व अमित को चोट पहुँचाने से संबंधित, लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से यह साक्ष्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दिया है कि अपीलार्थी वे व्यक्ति हैं जो घटना के समय उपस्थित थे, वे एक समूह में आए थे, उनके हाथ में ऐसे शस्त्र थे जो निश्चित रूप से घातक शस्त्र हैं और कुछ बातचीत के बाद उन्होंने विनोद को घातक चोटें पहुँचाईं जो उसकी मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थीं और अंततः, ऐसी चोटों के परिणामस्वरूप विनोद की मृत्यु हो गई। विनोद के शरीर पर तीन खतरनाक चोटें पाई गईं, जिनमें आंतरिक चोटें भी शामिल थीं।

27. उपरोक्त साक्षियों के साक्ष्य से यह भी पता चलता है कि मृतक के पास कोई शस्त्र नहीं था और वह अपने घर के पास खड़ा था। यह अचानक विवाद का मामला नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा मामला है जिसमें अपीलार्थी मृतक के घर के सामने शस्त्रों के साथ आए थे जहाँ उसकी उपस्थिति स्वाभाविक थी। एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा, विभिन्न शस्त्रों से पहुँचाई गई चोटों के मामले में, यह देखना और स्पष्ट करना संभव नहीं है कि किसने किस शस्त्र से चोट पहुँचाई है, किसने चाकू पकड़ा हुआ था और किसने छुरा पकड़ा हुआ था, लेकिन चक्षुदर्शी साक्षी यह बताने की स्थिति में हो सकते हैं कि किसने विशिष्ट प्रकार का शस्त्र पकड़ा हुआ था। वर्तमान मामले में, दोनों साक्षियों संतोष (अ.सा.-4) और अमित (अ.सा.-13) ने विशेष रूप से यह कथन प्रस्तुत किया है कि जितेंद्र नानचक पकड़े हुए था जो एक विशिष्ट प्रकार का शस्त्र है। इन साक्षियों के साक्ष्य से पता चलता है कि अभियुक्त/अपीलार्थी वे व्यक्ति हैं जो घटनास्थल पर उपस्थित थे और उन्होंने विनोद को घातक चोटें पहुँचाईं और इन चोटों के परिणामस्वरूप अंततः विनोद की मृत्यु हो गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

28. विनोद की हत्या करने के उद्देश्य से अपीलार्थीगण द्वारा विधिविरुद्ध तरीके से जमाव लगाने के प्रश्न के संबंध में, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी-4 से पता चलता है कि घटना से ठीक एक घंटे पहले संतोष (अ.सा.-4), मृतक विनोद, अभियुक्त/अपीलार्थी गोपी और रानू के बीच कुछ कहासुनी/विवाद हुआ था जिसमें विनोद ने गोपी और रानू को थप्पड़ मारा, जिस पर उन्होंने संतोष और विनोद को धमकी दी कि वे उन्हें जान से मार देंगे। ठीक एक घंटे बाद सभी अपीलार्थी खतरनाक शस्त्रों के साथ विनोद के घर के सामने आए जहां विनोद, संतोष और अमित खड़े थे और उन्हें घातक चोटें पहुंचाईं। यह वह मामला नहीं है जहां चीख-पुकार सुनकर या किसी अन्य आधार पर अपीलार्थी घटनास्थल पर आए और बिना किसी पूर्व-चिंतन के अचानक विवाद हुआ और उन्होंने मृतक पर हमला किया, लेकिन वर्तमान मामले में, सभी अपीलार्थी एक साथ आए और विनोद के साथ कुछ चर्चा के बाद उन्होंने उस पर हमला कर दिया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

29. अपीलार्थीगण के मामले के अनुसार, सभी अपीलार्थीगण को इस बात का कोई ज्ञान नहीं था कि कुछ अपीलार्थी मृतक को खतरनाक या घातक चोट पहुँचाएँगे। हो सकता है कि उन्होंने मृतक को सबक सिखाने के लिए उसे साधारण चोट या गंभीर चोट पहुँचाने के लिए विधिविरुद्ध जमाव का गठन किया हो। लेकिन अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य से पता चलता है कि अचानक कुछ अपीलार्थीगण ने खतरनाक शस्त्र निकाल लिए और मृतक को घातक चोटें पहुँचाईं, और इन चोटों के परिणामस्वरूप अंततः मृतक विनोद की मृत्यु हो गई। इन परिस्थितियों में, सभी अपीलार्थी विनोद की हत्या के लिए

उत्तरदायी नहीं हैं क्योंकि वे विनोद की हत्या करने के उद्देश्य से गठित विधिविरुद्ध जमाव के सदस्य थे। उनका कृत्य विनोद को साधारण या गंभीर चोट पहुँचाने के उद्देश्य से विधिविरुद्ध जमाव बनाने के लिए साधारण या गंभीर चोट पहुँचाने की श्रेणी में आ सकता है। इसलिए, अंततः, वे भारतीय दंड संहिता की धारा 325 सहपठित धारा 149 और 326 सहपठित धारा 149 के तहत अपराध के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं। लेकिन भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के साथ धारा 302 के अंतर्गत नहीं।

30. विक्रम (पूर्वोक्त) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि विधिविरुद्ध जमाव का सामान्य उद्देश्यतथ्य का प्रश्न है और यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

31. **सरमन (पूर्वोक्त)** मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि गैर-महत्वपूर्ण अंगों पर साधारण चोट के मामले में यह नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्त का उद्देश्य मृतक की हत्या करना था। लेकिन वर्तमान मामले में, मृतक के महत्वपूर्ण अंगों पर चोटें पहुँचाई गई थीं। सरमन (पूर्वोक्त) का मामला तथ्यों के आधार पर वर्तमान मामले से भिन्न है।

32. **नागरजीत (पूर्वोक्त)** मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि केवल घटनास्थल पर व्यक्ति की उपस्थिति और किसी प्रत्यक्ष कृत्य के अभाव के आधार पर, भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के तहत दोषसिद्धि संभव नहीं होगी। लेकिन

वर्तमान मामले में, सभी अभियुक्त एक साथ घटनास्थल पर आए थे, कुछ अभियुक्तगण के पास घातक शस्त्र थे और कुछ अभियुक्तगण ने मृतक के महत्वपूर्ण अंगों पर हमला किया था। इससे पता चलता है कि कोई भी अभियुक्त घटनास्थल पर उपस्थित नहीं था और वे एक समूह में आए थे। नागरजीत (पूर्वोक्त) का मामला भी तथ्यों के आधार पर वर्तमान मामले से भिन्न है।

33. **राधा (पूर्वोक्त)** के मामले में, अभियुक्त व्यक्ति होली के त्योहार पर मृतक को सबक सिखाने के लिए उसके घर गए, वे शस्त्रों से सज्जित थे और उन्होंने हमला करना शुरू कर दिया और एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि एकत्र हुए लोगों का सामान्य उद्देश्यहत्या करना नहीं, बल्कि गंभीर चोट पहुँचाना था। लेकिन वर्तमान मामले में, सबक सिखाने का ऐसा कोई आशय नहीं था। प्रथम सूचना रिपोर्ट से पता चलता है कि दो अभियुक्तगण ने मृतक को पहले ही धमकी दी थी कि वे उसे मार देंगे। राधा (पूर्वोक्त) का मामला भी वर्तमान मामले के तथ्यों से अलग है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

34. **सुनील (पूर्वोक्त)** के मामले में, मूल रूप से अभियुक्तगण ने मृतक पर लात-घूंसों और घूंसों से हमला किया और एक अभियुक्त ने चाकू से एक वार किया। सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि विधिविरुद्ध रूप से एकत्रित हुए लोगों का उद्देश्य वास्तविक रूप से मृतक पर हमला करना था और अचानक, अभियुक्त 2 ने मृतक को चाकू मार दिया, इसलिए, सभी अभियुक्त व्यक्ति भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के तहत हत्या के

अपराध के लिए उत्तरदायी नहीं थे। लेकिन वर्तमान मामले में, सभी अभियुक्त घातक शस्त्रों के साथ विधिविरुद्ध रूप से एकत्रित होकर आए और मृतक के शरीर के महत्वपूर्ण अंगों पर तीन घातक चोटें पहुँचाईं, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। यह ऐसा मामला नहीं है जहाँ अचानक एक व्यक्ति ने चाकू से एक ही वार किया हो। सुनील (पूर्वोक्त) का मामला भी वर्तमान मामले से तथ्यों के आधार पर भिन्न है।

35. **भीमराव (पूर्वोक्त**) के मामले में, मूलतः अभियुक्तगण का सामान्य उद्देश्यपीड़ित पर हमला करना था, लेकिन कुछ अभियुक्तगण ने अलग उद्देश्य से पीड़ित के घर में प्रवेश किया। सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि घर के बाहर खड़े व्यक्ति अलग-अलग समान आशयों के परिणामस्वरूप अपराध के लिए उत्तरदायी नहीं थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

36. **बसिष्ठ (पूर्वोक्त)** के मामले में, वास्तविक भूमिका दो व्यक्तियों द्वारा निभाई गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि सर्वमान्य कथन के आधार पर, अन्य अभियुक्तगण को भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के तहत हत्या के लिए दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता। वर्तमान मामले में, घटना केवल एक ही हिस्से में हुई थी और सभी अभियुक्त एक साथ घटनास्थल पर आए थे। बसिष्ठ (पूर्वोक्त) का मामला भी वर्तमान मामले के तथ्यों से भिन्न है।

37. **सुखबीर (पूर्वोक्त)** के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि विधिविरुद्ध जमाव के सदस्यों द्वारा सामान्य उद्देश्य घटना से पहले उपस्थित होना चाहिए। यदि ऐसा है, तो विधिविरुद्ध जमाव का प्रत्येक सदस्य मुख्य अपराध के लिए उत्तरदायी होगा, भले ही उसमें उसकी वास्तविक भागीदारी न भी हो।

38. **यूनिस (पूर्वोक्त)** के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि विधिविरुद्ध जमाव में अभियुक्त की उपस्थिति दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त है। अभियुक्त का विधिविरुद्ध जमाव का सदस्य होना और घटनास्थल पर उसकी उपस्थिति, इस तथ्य पर विवाद नहीं है। उसे दोषसिद्ध करना पर्याप्त है, भले ही उस पर कोई प्रत्यक्ष कृत्य अधिरोपित न किया गया हो।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

39. वर्तमान मामले में, अपीलार्थी अचानक घटनास्थल पर एकत्र नहीं हुए थे, बल्कि वे घातक शस्त्रों के साथ घटनास्थल पर एकत्र हुए और मृतक के शरीर के महत्वपूर्ण अंगों पर बार-बार तीन घातक चोटें पहुँचाईं और मृतक विनोद को आहत करने के बाद उन्होंने चक्षुदर्शी साक्षी संतोष (अ.सा.-4) का भी पीछा किया और आहत साक्षी अमित (अ.सा.-13) को भी चोट पहुँचाई। जब ये साक्षी सहायता के लिए चिल्लाए, तो आसपास के लोग एकत्रित हो गए और अपीलार्थीगण को पकड़ने की कोशिश की, और उन्होंने ध्रुव और भरत नामक दो अपीलार्थीगण को पकड़ लिया, हालाँकि शेष अभियुक्त घटनास्थल से भाग गए। इससे पता चलता है कि अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण का विधिविरुद्ध जमाव करने

का एक ही उद्देश्य था और इसी उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने विनोद की हत्या की।

40. संतोष (अ.सा.-4) और अमित (अ.सा.-13) के साक्ष्य और प्रथम सूचना रिपोर्ट से यह पता चलता है कि अपराध कारित करने के पहले भाग को अंजाम देने के बाद, सभी अपीलार्थी एक साथ घटनास्थल पर आए थे, हालाँकि संजय दूसरी दिशा से आया था, लेकिन वह अन्य अभियुक्तगण के साथ एक साथ घटनास्थल पर आया था। कुछ अपीलार्थीगण के पास नानचक, चाकू, छुरा और छड जैसे घातक शस्त्र थे और उन्होंने विनोद को घातक चोटें पहुँचाईं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

41. विधिविरुद्ध जमाव के गठन के मामले में, औपचारिक बैठक या तैयारी आवश्यक नहीं है। जमाव के गठन और उसके उद्देश्य का अनुमान अभियुक्तगण द्वारा धारण किए गए शस्त्रों, शस्त्रों के उपयोग, मृतक के शरीर के उस भाग पर जहाँ चोटें आई थीं, घटनास्थल पर व्यक्तियों की उपस्थिति, घटनास्थल पर उपस्थित अन्य व्यक्तियों को चोट पहुँचाने का प्रयास या जिन्होंने रोकने का प्रयास किया, और अभियुक्तगण द्वारा घटनास्थल से भागकर लोगों के एकत्र होने के आधार पर लगाया जा सकता है। विधिविरुद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्यका अनुमान लगाने के लिए ये सभी सुसंगत विचार हैं।

42. वर्तमान मामले में, सभी अपीलार्थी घटनास्थल पर आए थे, कुछ के पास खतरनाक शस्त्र थे और कुछ ने मृतक के पेट और छाती पर धारदार शस्त्रों से चोटें पहुँचाईं, जिसके परिणामस्वरूप डायाफ्राम और फेफड़े प्रभावित हुए और दोनों फेफड़ों पर कटने का घाव पाया गया। इससे चोटों की गहराई और चोटों के लगने के तरीके का पता चलता है। वर्तमान मामले में अपीलार्थी छोटी छड़ी लेकर नहीं आए हैं और उन्होंने सर्दियों के मौसम में रात्रि लगभग 8.45 बजे का समय चुना है। विनोद को घातक चोटें पहुँचाने के बाद, अपीलार्थीगण ने संतोष (अ.सा.-4) और अमित (अ.सा.-13) का पीछा किया, जिस पर उन्होंने सहायता के लिए चिल्लाया, जिसके एक या दो मिनट के भीतर, आसपास के लोग एकत्रित हो गए। संतोष (अ.सा.-4) और अमित (अ.सा.-13) ने अपीलार्थीगण को पकड़ने के लिए एकत्रित हुए लोगों पर चिल्लाया, तब आसपास के लोगों ने भरत और ध्रुव को घटनास्थल पर ही पकड़ लिया और शेष अभियुक्तगण ने घटनास्थल से भागने की कोशिश की और वे घटनास्थल से भागने में सफल रहे। इससे पता चलता है कि अपीलार्थीगण ने न केवल विनोद को चोटें पहुँचाईं, बल्कि उन्होंने संतोष (अ.सा.-4) और अमित (अ.सा.-13) पर हमला करने की भी कोशिश की, जब आसपास के लोग एकत्रित हुए और उन्हें पकड़ने की कोशिश की, तो उन्होंने घटनास्थल से भागने की कोशिश की। यह विनोद की मानववध के बराबर की हत्या करने के उनके स्पष्ट और दूषित आशय को दर्शाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

43. अपीलार्थी भरत और ध्रुव की अपराध में सक्रिय उपस्थिति को ध्यान में रखते हुए, यह मानना कठिन है कि वे केवल विवाद की आवाज सुनकर घटनास्थल पर आए थे और उन्होंने वास्तव में घटना में भाग नहीं लिया था।

44. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों की विवेचना करने के बाद, विशेष न्यायाधीश और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अंबिकापुर ने अपीलार्थीगण को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सहपठित धारा 149 के तहत विनोद की हत्या करने के लिए दोषसिद्ध किया है, क्योंकि वे विधिविरुद्ध जमाव के सदस्य थे और ऐसी हत्या करने के उद्देश्य से हत्या की गई थी और उन्हें उपरोक्त तरीके से सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अंबिकापुर ने भी अपीलार्थीगण को भारतीय दंड संहिता की धारा 147 और 148 के तहत विधिविरुद्ध जमाव बनाने और घातक शस्त्र रखने के लिए दोषसिद्ध किया है

और दंडित किया है। अपीलार्थीगण का दंड संतोष (अ.सा.-4) और अमित (अ.सा.-13) के पर्याप्त साक्ष्य और तत्काल दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी-4 पर आधारित है, जो यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त हैं कि अपीलार्थीगण ने उपरोक्त अपराध किया है। अपीलार्थीगण पर दोषसिद्धि और दंडादेश विधि के तहत संधारणीय और विश्वसनीय साक्ष्य पर आधारित है।

45. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों की सूक्ष्मता से जांच करने के बाद, हमारा मत है कि विशेष न्यायाधीश एवं अपर सत्र न्यायाधीश, अंबिकापुर ने अपीलार्थीगण को दोषसिद्ध और दण्डित करने में कोई अवैधता या त्रुटि नहीं की है।

46. उपरोक्त कारणों से, हमें अपीलों में कोई सार नहीं दिखता। अतः, दांडिक अपील क्रमांक 574/2003, 577/2003, 587/2003, 614/2003, 783/2003 और 1022/2003 खारिज किए जाने योग्य हैं और इन्हें एतद्द्वारा खारिज किया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-
टी. पी. शर्मा
न्यायाधीश

सही/-
आर.एल. झंवर
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By ..... Vijay Kumar Sahu , Advocate